न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट,राजसमंद
(श्याम लाल गुर्जर,आई0ए0एस0,जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अध्यासित)

अपील आर्म्स संख्याः 01/2017

दायर दिनांकः 25.01.2017

निर्णय दिनांक 28.08.2018

—:अनवानः—

सुरेशचन्द्र पिता शंकरलाल सरगरा, निवासी किशोर नगर मण्डा, तहसील व जिला राजसमंद

अपीलांट

—:बनामः—

श्रीमान् उपखण्ड मजिस्ट्रेट राजसमंद जिला राजसमंद राजस्थान

रेस्पोण्डेंट

अपील विरुद्ध आदेश उप खण्ड मजिस्ट्रेट,राजसमंद जिला राजसमंद के आदेश कमांक 638 दिनांकः 17.10.2014

उपस्थितः—
1— श्री मुकेश ओस्तवाल,अधिवक्ता अपीलांट
2— पेरोकार सरकार

प्रस्तुत अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट,राजसमंद के द्वारा अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञा—पत्र संख्या 06/97 जो कि दिनांकः 31.12.2011 तक नवीनीकृत था उसके द्वारा दिनांक 30.12.2011 को नवीनीकरण के लिए आवेदन किया गया किन्तु अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण नहीं किया जाकर आदेश कमांकः 638 दिनांकः 17.10.2014 से अपीलांट के शस्त्र अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोण्डेंट को जरिये सम्मन सूचना दी गई एवं अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।

सर्वप्रथम उभयपक्ष की दफा 5 मयाद अधिनियम के प्रा0पत्र पर बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि अपीलांट पारिवारिक परेशानी होने से तथा पसून्द—केलवा के पास सड़क दुर्घटना में प्रार्थी की भुआ के परिवार की मृत्यु हो जाने से शोकग्रस्त रहा,जिससे अपील पेश करने में विलम्ब हो गया। अतः विलम्बित अवधि को कण्डोन की जाकर अपीलांट की अपील को मयाद में शुमार करानें का आदेश फरमाया जावें। अधिवक्ता अपीलांट ने इस कथन के समर्थन में अपीलांट का शपथ—पत्र पेश किया गया। पेरोकार सरकार की ओर से इस हेतु कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश

नहीं किया गया हैं। ऐसी स्थिति में सुलभ न्याय के सिद्धान्त के अनुसार न्यायहित में विलम्बित अवधि को कण्डोन किया जाकर अपील अन्दर अवधि में शुमार की जाती हैं।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए बताया कि अपीलांट की आत्मरक्षा, खेतों पर जंगली जानवरों से सुरक्षा व रोजड़ों से सुरक्षा के लिये दो नाल टोपीदार गन की आवश्यकता रहती है। अपीलांट के नाम पर हमेरपाल, केलवाड़ा में 07 बीघा जमीन है। रोजड़े व वन्य जीवों से सुरक्षा के लिये उक्त टोपीदार गन की आवश्यकता है। इसका नवीनीकरण वर्ष 1997 से लगातार उपखण्ड मजिस्ट्रेट, राजसमंद के द्वारा भी दिनांकः 31.12.2011 तक के लिये नवीनीकरण किया गया था। अपीलांट के द्वारा निर्धारित नवीनीकरण शुल्क राजकोष में जमा करवाकर अपने शस्त्र लाईसेंस का 30.12.2011 से आगे के लिए नवीनीकरण करवाये जाने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में आवेदन किया गया जिस पर पुलिस विभाग से जांच रिपोर्ट प्राप्त की गयी और उक्त रिपोर्ट में यह अंकित किया कि अपीलांट के विरुद्ध प्रकरण संख्या 76/2002 धारा 332, 353, 341, 203/34 भा0द0स0 दर्ज होकर दोष सिद्ध है। अतः शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं हैं। पुलिस विभाग की उक्त रिपोर्ट के आधार पर ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का लाईसेंस निरस्त कर दिया गया जो कि कानूनन सहीं नहीं हैं। अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क किया कि अपीलांट के विरुद्ध गम्भीर अपराध नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अनुरोध हैं कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाकर अपीलांट के शस्त्र लाईसेंस सं0 06/97 जो कि दिनांकः 31.12.2011 तक नवीनीकृत था, के आगे नवीनीकरण करने का आदेश प्रदान कराना फरमावें।

पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट के शस्त्र लाईसेंस को निरस्त किये जाने हेतु पारित आदेश न्यायोचित होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य हैं। अपीलांट के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय द्वारा दोषसिद्धी की गई है इसलिये नवीनीकरण की अनुशंसा पुलिस उप अधीक्षक द्वारा नहीं की गई। इसलिये अपील आधारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

दोनों पक्षों की बहस पर गहन मनन किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं इसमें संलग्न अपीलांट के लाईसेंस के अवलोकन पर पाया गया कि अपीलांट का शस्त्र लाईसेंस स्वयं उपखण्ड मजिस्ट्रेट,राजसमंद के द्वारा दिनांकः 31.12.2011 तक के लिए नवीनीकरण किया गया था और इस दिनांक से आगे के लिए अपीलांट द्वारा नवीनीकरण करवाये जाने हेतु किये गये आवेदन की जांच में पुलिस विभाग से प्राप्त जांच रिपोर्ट में अंकित तथ्य कि– "अपीलांट के विरुद्ध 76/2002 धारा 332, 353 भा0द0स0 दर्ज होकर दिनांक 09.04.2008 को सजा हुई हैं। अतः शस्त्र अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण किया जाना उचित नहीं हैं।" के आधार पर आदेश दिनांकः 13.10.2014 से निरस्त कर दिया गया।

उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलांट के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित होने से हम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

::आदेश::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा उपखण्ड मजिस्ट्रेट,राजसमंद द्वारा पारित आदेश दिनांकः 17.10.2014 को यथावत रखा जाता है।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 28.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्याम लाल गुर्जर)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद